


<p>तारीख दृश्य</p>	<p>हुकम या कार्यवाही इनिवियल जज</p>
<p>27/10/20</p>	<p>वकील वादी उपर वकील वादी ने प्रतिकारीगत के सम्मन लालता फेक नही किये तथा एक दफतर करे पाहा। पत्रावली के दफलेख ले ज्ञान हुआ कि पत्रावली में दर्ज किंगे: 01/11/17 से लगातार प्रतिकारीगत की तलकी हेतु दफतर दिमें गये। खासिडा अर्दिका किंगे: 17/11/20 के वकील वादी के निवेदन पर एक अन्तिम दफतर करे ललकी प्रति नं. 1/2017 हेतु दिया गया। परन्तु वकील वादी ने कोई सम्मन लालता फेक नही किया। पत्रावली के दफलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अब वाद के चलने के इच्छुकु नही है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद आवजूद परमिण सम्म दिमें जाने पर भी प्रतिकारीगत की तलकी कराने में अलम्व रहे है। अतः वादी का वाद अदम तजमील में खारिज किया जाता है। भिमत दफते नम्बर ले कम होकर दोबल रातर है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जयपुर, जिला नागौर </p>